



2026:AHC:57631

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 3279/2026

मोहम्मद सलीम

...आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

:

फरीद अहमद

विपक्षी के अधिवक्ता

:

सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री रूपक चौबे और राज्य-प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

2. यह जमानत याचिका आरोपी-आवेदक **मोहम्मद सलीम** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 337/2024 में धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 125-ए, 221, 132, 121(1), 121(2), 324(4), 223-बी, 326(1) और 317(3) बीएनएस, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम की

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



धारा 7 और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकने वाले अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

3. संक्षेप में, एफआईआर में लगाए गए आरोप के अनुसार, आरोपी-आवेदक ने 20 अन्य नामजद सह-आरोपियों और 800-900 अज्ञात व्यक्तियों की भीड़ के साथ मिलकर पुलिसकर्मियों को उनके आधिकारिक कर्तव्य में बाधा डाली और पुलिस दल पर पत्थर फेंके।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि हालांकि आरोपी-आवेदक का नाम एफआईआर में है, लेकिन उसे दुर्भावनापूर्ण इरादे से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि आरोपी-आवेदक को कोई अलग या विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। इसके अलावा, सह-आरोपी फरदीन, शेन आलम, रिहान और आफताब को इस न्यायालय और इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा क्रमशः आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 25439/2025, 10499/2025, 35451/2025 और 22504/2025 में दिनांक 06.08.2025, 08.05.2025, 09.03.2026 और 27.10.2025 को पारित आदेशों के माध्यम से जमानत पर रिहा किया जा चुका है। इसके अलावा, आरोपी-आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, सिवाय इसके कि वर्तमान घटना के दिन ही चार अन्य आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिनका विवरण जमानत याचिका के पैरा 30 में दिया गया है और वह 25.11.2024 से जेल में है। इसके अलावा, विद्वान ए.जी.ए. जनरल के अनुसार, इस मामले में पहले ही आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। निवेदन यह है कि मुकदमे के निष्कर्ष में पर्याप्त समय लगेगा और इस बात की कोई संभावना नहीं है कि वह न्याय प्रक्रिया से भाग जाएगा या जमानत पर रिहा होने की स्थिति में सबूतों से छेड़छाड़ करेगा। इसलिए, जमानत की प्रार्थना की गई है।

5. इसके विपरीत, विद्वान ए0जी0ए0 ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि आरोपी-आवेदक का आपराधिक इतिहास है, जिसमें एक मामला दर्ज है और इसके अलावा वर्तमान घटना वाले दिन ही आरोपी-आवेदक के खिलाफ चार मामले भी दर्ज किए

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



गए हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक की निर्दोषता का निर्णय मुकदमे से पहले के चरण में नहीं किया जा सकता, इसलिए वह किसी भी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह फिर से इसी तरह की गतिविधियों में लिप्त होगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

6. इस बात पर विचार करने के बाद कि यद्यपि अभियुक्त-आवेदक का नाम एफआईआर में है, परीक्षाओं में कोई अलग और विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। सह-आरोपी, अर्थात् फरदीन, शेन आलम, रिहान और आफताब को पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है। विद्वान एजीए के निवेदन के अनुसार, इस मामले में पहले ही आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए अभियोजन पक्ष के गवाहों को डराने-धमकाने और दबाव डालने की कोई उचित संभावना नहीं है। माननीय अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता ने यह तथ्य स्वीकार किया कि आरोपी आवेदक द्वारा आपराधिक इतिहास का पहले ही स्पष्टीकरण दिया जा चुका है। आरोपी आवेदक 25.11.2024 से जेल में है और मुकदमे के निष्कर्ष के संबंध में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए; भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक जनादेश को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय के **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय 2024 (एससी) मुकदमा 677** मामले में अनुच्छेद 53, **संघ ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब (2021) 3 एससीसी 713** और **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य (2022) 10 एससीसी 51** में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर विचार करते हुए, और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक को व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती पेश करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, प्रत्येक जमानती संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि का हो, निम्नलिखित शर्तों के साथ कि:-

- (i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों को धमकाएगा।
- (ii) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(iii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेगा, या तो स्वयं या संबंधित न्यायालय द्वारा निर्देशित अनुसार।

(iv) आवेदक को ट्रायल कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित तिथियों पर उपस्थित रहना होगा: (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप निर्धारण और (iii) आरोपी का व्यक्तिगत बयान दर्ज करना ताकि वह अपने विरुद्ध साक्ष्यों में प्रकट होने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट कर सके।

(v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, तो अवर न्यायालय उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्यवाही शुरू करेगी।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह अवर न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करने का आधार होगा।

8. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

(संतोष राय, न्यायमूर्ति)

20 मार्च 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"